



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14()/सहा./कम्प्यूटर.ऑप/2024/1202

दिनांक: 15/07/24.

प्रेषित :-

आयुषी इंटर प्राइजेज
कृष्णा नगर, राधिका हॉस्पिटल के पास
राजसमन्द।

विषय :- कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ :- आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग राजस्थान, जयपुर के प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ:3(4)आ.प्र.सहा./स्था/2012 दिनांक 16.03.24 व इस कार्यालय के कोटेशन आमंत्रण सूचना पत्रांक 1223-24 दिनांक 08.07.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024-25 में आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग राजस्थान, जयपुर के प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ:3(4)आ.प्र.सहा./स्था/2012 दिनांक 16.03.24 द्वारा फरवरी 2025 तक एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित कोटेशन सूचना पत्रांक 1223-24 दिनांक 08.07.2024 में आपकी फर्म की दरें न्यूनतम रहने से क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार दरें अनुमोदित की जाती है-

(दरें समस्त करों सहित)

क्र. सं.	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति माह	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रति माह	EPF@ 12%	ESI@ 4.75%	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति व्यक्ति प्रति माह	कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रति माह	किराये पर कम्प्यूटर मशीन
1.	9334	9334	-	-	900	10234	900

उपरोक्तानुसार दरें अनुमोदित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तों अनुसार एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किये जाने पर आदेश जारी होने की तिथि से बढी हुई दरें लागू रहेगी।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कोषाधिकारी राजसमन्द।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

Signature valid

RajKaj Ref
8901427



Digitally signed by Bhanwar Lal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.07.15 13:08:40 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

दिनांक 30/5/24

क्रमांक प.14()/सहा/कम्प्यूटरऑपरेटर/2024/1119

प्रेषित :-

श्रीमान उप शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :- कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय भुगतान हेतु बजट आवंटन करने के क्रम में।
सन्दर्भ :- आ.प्र.सहा. एवं ना.सु. विभाग राजस्थान, जयपुर के प्रशासनिक स्वीकृति
क्रमांक एफ:3(4)आ.प्र.सहा./स्था/2012 दिनांक 16.03.24 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 644 दिनांक 26.03.2024 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर की स्वीकृति को वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित दर 9334/- मजदूरी तथा 500/- सर्विस चार्ज प्रति माह पर 30 जून 2024 तक या पुनः निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक इस कार्यालय को एक कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करावाने हेतु अनुमोदित फर्म को कार्यादेश जारी किया गया है।

अतः फर्म द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर ऑपरेटर के बिलों के भुगतान हेतु बजट मद 2245-01-800-03-07-29 में वर्ष 2024-25 हेतु कुल 1.50 लाख का बजट आवंटित करवाने का श्रम करावें ताकि उपस्थित कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय भुगतान किया जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.सहा एवं ना.सु.)
राजसमन्द

RajKaj Ref
7529560



Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Nish Bunkar
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.24 17:27:50 IST
Reason: Approved